

नाम मालिक

मकान/दुकान

रसीद सं०

तारीख :

श्रीयुत/श्रीमती .....

से बाबत् किराया मकान/दुकान नं. ....

तारीख ..... से ..... तक का

किराया ..... बिजली का .....

नल का ..... हाउस टैक्स का .....

कुल रूपया ..... अंके रूपया .....

..... सधन्यवाद प्राप्त हुआ।

ह० किरायेदार

ह० प्राप्तकर्ता

- नोट :- 1. बिना रसीद कोई रकम जमा नहीं समझी जावेगी।  
2. किरायेदार मकान को किसी दूसरे के कब्जे में नहीं दे सकेगा।  
3. मकान में किसी प्रकार से तोड़ फोड़ नहीं कर सकेगा।  
4. मकान को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

नाम मालिक

मकान/दुकान

रसीद सं०

तारीख :

श्रीयुत/श्रीमती .....

से बाबत् किराया मकान/दुकान नं. ....

तारीख ..... से ..... तक का

किराया ..... बिजली का .....

नल का ..... हाउस टैक्स का .....

कुल रूपया ..... अंके रूपया .....

..... सधन्यवाद प्राप्त हुआ।

ह० किरायेदार

ह० प्राप्तकर्ता

- नोट :- 1. बिना रसीद कोई रकम जमा नहीं समझी जावेगी।  
2. किरायेदार मकान को किसी दूसरे के कब्जे में नहीं दे सकेगा।  
3. मकान में किसी प्रकार से तोड़ फोड़ नहीं कर सकेगा।  
4. मकान को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

नाम मालिक

मकान/दुकान

रसीद सं०

तारीख :

श्रीयुत/श्रीमती .....

से बाबत् किराया मकान/दुकान नं. ....

तारीख ..... से ..... तक का

किराया ..... बिजली का .....

नल का ..... हाउस टैक्स का .....

कुल रूपया ..... अंके रूपया .....

..... सधन्यवाद प्राप्त हुआ।

ह० किरायेदार

ह० प्राप्तकर्ता

- नोट :- 1. बिना रसीद कोई रकम जमा नहीं समझी जावेगी।  
2. किरायेदार मकान को किसी दूसरे के कब्जे में नहीं दे सकेगा।  
3. मकान में किसी प्रकार से तोड़ फोड़ नहीं कर सकेगा।  
4. मकान को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

नाम मालिक

मकान/दुकान

रसीद सं०

तारीख :

श्रीयुत/श्रीमती .....

से बाबत् किराया मकान/दुकान नं. ....

तारीख ..... से ..... तक का

किराया ..... बिजली का .....

नल का ..... हाउस टैक्स का .....

कुल रूपया ..... अंके रूपया .....

..... सधन्यवाद प्राप्त हुआ।

ह० किरायेदार

ह० प्राप्तकर्ता

- नोट :- 1. बिना रसीद कोई रकम जमा नहीं समझी जावेगी।  
2. किरायेदार मकान को किसी दूसरे के कब्जे में नहीं दे सकेगा।  
3. मकान में किसी प्रकार से तोड़ फोड़ नहीं कर सकेगा।  
4. मकान को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)